न्यायालय, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 2920 /विधि सहरसा, दिनांक 29-9-2023

प्रतिलिपि :- समाहर्त्ता, सुपौल को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आपूर्ति पुन0वाद सं0-28/2023 में दिनांक-27.09.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है। साथ ही उनसे प्राप्त निम्न न्यायालय आपूर्ति अपीलवाद सं0-15/2019 से संबंधित अभिलेख (आदेश फलक-03 तथा अन्य कागजात-51 पन्ना कुल-54 पन्ना) मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :- **यथोक्त।**

प्रतिलिपि :- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सुपौल को पारित आदेश की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, वीरपुर, सुपौल को पारित आदेश की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है।

प्रतिलिपि :- वीणा कुमारी, पति-विनोद सिंह / शबाना खातुन, पति-मो0 नूर इस्लाम, सभी सा0-परमानन्दपुर, वार्ड नं0-08, प्रखंड-राघोपुर, जिला-सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0 असिस्टेंट, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

अनुसूची १४-फारम सं०-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता०..से..तक

जिला..., सं०..., सन् १९...............................

केस का प्रकार..

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
27/07/2023	(see below)	

न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

आपूर्ति पुनरीक्षण वाद संख्याः-28/2023

वीणा कुमारी....................पुनरीक्षणकर्त्ता

-बनाम-

राज्य एवं अन्य.....................रेसपॉण्डेन्ट

-:: आदेश ::-

प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षणवाद वीणा कुमारी, पति-विनोद सिंह ग्राम-परमानन्दपुर, वार्ड सं0-08 प्रखंड-राघोपुर, जिला-सुपौल द्वारा शबाना खातुन, पति-मो0 नूर इस्लाम, ग्राम-परमानन्दपुर, प्रखंड-राघोपुर, जिला-सुपौल का जन वितरण प्रणाली हेतु प्रदत्त अनुज्ञप्ति के खिलाफ न्यायालय समाहर्त्ता, सुपौल के यहाँ अपील वाद सं0-15/2019 दिनांक-11.02.2020 में पारित आदेश के खिलाफ दायर किया गया है। विपक्षी की ओर से उनके विज्ञ अधिवक्ता सुनवाई में उपस्थित हुए किन्तु उनके द्वारा जवाब दाखिल नहीं किया गया, इस कारण उन्हें जवाब दाखिल करने से वंचित करते हुए आदेश पारित किया जा रहा है।

संदर्भित मामला संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा C.W.J.C No.- 2076/2019 में दिनांक 22.04.2019 को पारित आदेश के आलोक में वीणा कुमारी द्वारा अपना अभ्यावेदन समाहर्त्ता, सुपौल के समक्ष दाखिल किया गया, जिसके आधार पर न्यायालय समाहर्त्ता, सुपौल में आपूर्ति अपील वाद सं0-16/2019 के तहत सभी संबंधित पक्ष को सूचित करते हुए अपीलार्थी के अभ्यावेदन के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सुपौल एवं अनुमंडल पदाधिकारी, वीरपुर से प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुपौल के पत्रांक-85-2 दिनांक-04.02.2020 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सुपौल एवं अनुमंडल पदाधिकारी वीरपुर द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि वीणा कुमारी द्वारा अनुज्ञप्ति हेतु समर्पित

आवेदन पत्र में कम्प्यूटर ज्ञान का कॉलम रिक्त रखा गया तथा संलग्न चेक लिस्ट में कम्प्यूटर प्रमाण पत्र असंलग्न अंकित किया गया है। वीणा कुमारी द्वारा चयनित अभ्यर्थी शबाना खातुन के आवेदन के साथ चरित्र प्रमाण पत्र नहीं लगाये जाने के संबंध में प्रतिवेदित किया गया कि शबाना खातुन द्वारा अनुज्ञप्ति हेतु समर्पित आवेदन पत्र के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सुपौल को चरित्र प्रमाण-पत्र हेतु समर्पित आवेदन-पत्र की पावती रसीद साक्ष्य स्वरूप समर्पित किया गया। साथ ही आपत्ति के लिए निर्धारित समयावधि में पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सुपौल से निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र जमा किया गया। बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2016 ज्ञापांक-1750 दिनांक 10.03.2016 की कंडिका-09(v) के अनुसार उचित मूल्य के दुकान का अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास और वयस्क होगा, परंतु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, चूँकि वीणा कुमारी द्वारा अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन में कम्यूटर ज्ञान का कॉलम रिक्त रहने तथा आवेदन के साथ संलग्न चेक लिस्ट में कम्प्यूटर प्रमाण पत्र असंलग्न रहने के कारण उन्हें अनुज्ञप्ति हेतु अयोग्य मानते हुए उक्त रोस्टर बिंदु 60 के अभ्यर्थी शबाना खातुन का नाम अनुज्ञप्ति हेतु योग्य पाया गया। न्यायालय समाहर्त्ता ने बहस के क्रम में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा स्वीकार किया गया कि अपीलार्थी कम्प्यूटर का ज्ञान नहीं रखती है। समाहर्त्ता, सुपौल के द्वारा चयन समिति के निर्णय को सम्पुष्ट करते हुए वीणा कुमारी के अपील आवेदन को खारिज कर दिया गया, जिसके पुनरीक्षण हेतु यह वाद लाया गया है।

पुनरीक्षणकर्त्ता का मूल रूप से कहना है कि वे ग्राम-परमानन्दपुर, वार्ड सं0-08, प्रखंड-राघोपुर, जिला-सुपौल की स्थायी निवासी है तथा समाहरणालय, सुपौल के आपूर्ति शाखा द्वारा अन्य स्थान के साथ-साथ परमानन्दपुर हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया, जिसमें अपीलार्थी के साथ-साथ विपक्षी शबाना खातुन द्वारा भी आवेदन समर्पित किया गया। चयन समिति द्वारा वीणा कुमारी का चयन किया गया एवं अनुज्ञप्ति फीस 1000/-(एक हजार) रू0 कोषागार में जमा करने का आदेश दिया गया और अपीलार्थी द्वारा अनुज्ञप्ति शुल्क ट्रेजरी चालान से जमा भी किया गया लेकिन लगभग 01 महीना बाद कम्प्यूटर योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहने के आधार पर उनका चयन रद्द कर विपक्षी शबाना खातुन का चयन कर दिया गया उक्त आलोक में अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना

के CWJC No–2076/2019 दाखिल किया। उक्त वाद में पारित आदेश के आलोक में अभ्यावेदन जिला आपूर्ति शाखा को उपलब्ध कराया गया लेकिन निम्न न्यायालय द्वारा तथ्यों को बिना गहन जाँच किये आदेश पारित कर दिया गया।

पुनरीक्षणकर्त्ता का पक्ष सुनने के उपरान्त उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख के रूप में प्राप्त साक्ष्य/कागजातों के परिशीलनोंपरान्त यह परिलक्षित होता है कि पुनरीक्षणकर्त्ता वीणा कुमारी को कम्प्यूटर ज्ञान नहीं है। उनके द्वारा इस न्यायालय में भी अपने कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त के आलोक में बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका–9 के आलोक में निम्न न्यायालय का आदेश सही है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को सम्पुष्ट करते हुए इस पुनरीक्षण वाद को खारिज किया जाता है। इसी विवेचन के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इसकी सूचना सभी संबंधितों को देते हुए निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका संबंधित कार्यालय को वापस करें।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं संशोधित।

27/9/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।